उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजन्ती बनाम छोटी मु. सं. 78/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक 25.9.24. आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं। को स्थगन हेतु पेश हो पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11.11.24 को पेश हो। रीडर	
आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। बाद्दे आदेश प्रा०पत्र ... दिनांक 18.11.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	पेश
दिनांकः 18.11.2024 प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मुडफोडी तहसील महवा जिला दौसा की आराजी जमाबंदी खाता सं. 183 के खसरा नम्बर 1106/1166 रकबा 0.25 हैक्टर व जमाबंदी सं. 151 के खसरा नम्बर 1106/1158 रकबा 0.50 हैक्टर व जमाबंदी सं. 50 के खसरा नम्बर 1106/1144 रकबा 0.25 हैक्टर एवं जमाबंदी सं. 25 के खसरा नम्बर 1106/1211 रकबा 0.25 हैक्टर जो उक्त समस्त प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	

की ढाणी में 5–6 घर ब्राहम्ण पुजारी के है और अप्रार्थीगण जाति से मीना है जिसका आराजी से कभी कोई सरोकार संबंध नहीं रहा है लेकिन वे पैसे वाले व प्रभावशाली है। प्रार्थीगण की जमीन छीनने पर आमादा है और आये दिन प्रार्थीगण के परिवार को जान से मारने की धमकी देते रहते है। दिनांक 17.06.2022 को झगडा किया जिसका मुकदमा बालाजी थाना में दर्ज हुआ है। यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं.1 लगायत 18 की जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 25.08.2023 से सम्मन भिजवाये गये किन्तु कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं.19 की भी तामिल हो चुकी है।

हमने वकील प्रार्थी की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी सं. 2071–74 का अवलोकन करने पाया कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा कर सकते है जिससे प्रार्थीगण को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम .... मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वादपत्र के निर्णय तक़ पाबंद किया जाता है कि ग्राम मुडफोडी तहसील महवा जिला दौसा की आराजी जमाबंदी खाता सं. 183 के खसरा नम्बर 1106/1166 रकबा 0.25 हैक्टर व जमाबंदी सं. 151 के खसरा नम्बर 1106/1158 रकबा 0.50 हैक्टर व जमाबंदी सं. 50 के खसरा नम्बर 1106/1144 रकबा 0.25 हैक्टर एवं जमाबंदी सं. 25 के खसरा नम्बर 1106/1211 रकबा 0.25 हैक्टर में प्रार्थी के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल बाद संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	